भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 373
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत निगरानी तंत्र

373. श्री शेर सिंह घुबाया:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रायः देखा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत धनराशि आवंटित होने के बाद कार्यों के कार्यान्वयन हेतु किसी नीति या नियमों का पालन नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का कार्यों के उचित कार्यान्वयन और आवंटित धनराशि के इष्टतम उपयोग के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी वार्षिक मास्टर परिपत्रों के अनुसार किया जाता है। इन दिशानिर्देशों और महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है।

इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुमोदन , तकनीकी स्वीकृति, उचित निष्पादन , मापन और भुगतान सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी , सामाजिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण किए जाते हैं। यदि कोई विचलन पाया जाता है , तो अधिनियम और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उसका निपटारा किया जाता है ।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों के समुचित कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र मौजूद है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने

अधिनियम के प्रावधानों और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार , योजना के कुशल क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा करना
2. लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र।
3. राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं और केंद्रीय दलों द्वारा निगरानी
4. आंतरिक लेखापरीक्षा करना
5. क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी
6. सामान्य समीक्षा मिशन और प्रदर्शन समीक्षा समिति।
7. उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का उपयोग ।
8. नागरिकों की प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जन मनरेगा ऐप

इसके अतिरिक्त, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ तकनीकी उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. युक्तधारा: जीआईएस आधारित योजना उपकरण – ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए, युक्तधारा, एक भू-स्थानिक योजना पोर्टल, इसरो-एनआरएससी के सहयोग से विकसित किया गया है ।

2. सिक्योर - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर: इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के अनुमान की गणना के लिए एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है।

3. जियो-मनरेगा: इस ऐप को तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है ताकि परिसंपत्तियों के निर्माण को जियो-टैगिंग द्वारा परिसंपत्ति निर्माण के "पहले" , "दौरान" और "बाद" चरणों में ट्रैक किया जा सके। अब तक कुल 6.36 करोड़ परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया जा चुका है।

4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और हेराफेरी को कम करने के लिए , वेतन भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को अपनाया गया है । इस कार्यक्रम के तहत , 99% से अधिक वेतन भुगतान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रमिकों के खातों में जमा किए जाते हैं।

5. आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली: आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। कुल 12.08 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से अब तक 12.03 करोड़ सक्रिय श्रमिकों के आधार कार्ड जोड़े जा चुके हैं।